

**वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता: राजस्थान में
महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में।**

***डॉ. सरोज पारीक**

प्रस्तावना

भारत में वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी गैर साक्षर आबादी है जिसमें 7 वर्ष की उम्र के गैर-साक्षरता की पूर्ण संख्या 282.6 मिलियन है। इस चिंताजनक स्थिति को बदलने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। 5 से 14 साल की उम्र के बीच भारत की स्कूली आयु की 43.6% आबादी के साथ प्राथमिक शिक्षा पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एक बच्चे और उनके भविष्य के करियर के समग्र विकास के संबंध में प्राथमिक स्कूली शिक्षा का महत्व निस्संदेह है। प्रारंभिक चरण स्कूली शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों देश भर के बच्चों के लिए जीवन स्तर निर्धारित करने में ठोस प्रभाव डालती है।

राजस्थान में एसएसए ने पिछले सभी कार्यक्रमों (लोक जुम्बश कार्यक्रम शिक्षा कर्मी परियोजना जन शाला को कम किया। भले ही एसएसए लक्ष्यों ने उपलब्धियों के लिए विशिष्ट तिथियां निर्धारित की हों फिर भी कार्यान्वयन में चुनौतियां कई हैं कार्य बहुत ही शानदार और लगभग हरक्यूलियन है। हालांकि एसएसए प्रोग्रामिंग के परिणामस्वरूप राजस्थान में प्रभावशाली परिणाम हुए हैं फिर भी एक बड़ा लिंग अंतर है और गुणवत्ता शिक्षा के अन्य संकेतकों को संबोधित करने और वांछित परिणामों को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

जब राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम (आरईआई लॉन्च किया गया था जोर्डन एजुकेशन इनिशिएटिव (जईआई की सफलता से प्रेरित था राज्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नामांकन को बेहतर बनाने शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की चुनौती का सामना कर रहा था। एक ही समय में प्रतिस्पर्धी वैशिक समाज और कई अन्य मुद्दों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए शिक्षा को सशक्त बनाना जो अपने शिक्षा लक्ष्य की समग्र उपलब्धि को प्रभावित कर रहा था।

2002 में भारत सरकार ने लेख 21 ए के माध्यम से 86 वां संवैधानिक संशोधन किया जो इस प्रकार पढ़ता है : राज्य 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित करें। यह भारत के इतिहास में वाटरशेड था। राजस्थान सरकार ने इस दायित्व का जवाब देते हुए लोक जुम्बश शिक्षा कर्मी परियोजना जन शाला कार्यक्रम जैसे कई रोचक कार्यक्रम शुरू किए थे।

किसी भी देश की आत्मा, जिसका कोई इतिहास है, उसकी भाव, भाषा वहाँ की महिला के विकास प्रगति एवं समृद्धि में बोलती है। महिला समाज की रचनात्मक भवित है। उसके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। उसके रुक जाने या धीमे हो जाने से देश थम जाता है। समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था, नागरिक दायित्व की दृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वह अपने भीतर सारी व्यवस्थाओं को समेटे रहती है। इन सबके चलते महिला सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति कहलायेगी। इस कामधेनु अन्नपूर्णा एवं रिद्धि-सिद्धि का उच्च स्वरूप उसकी शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर करेगा। अतः एक प्रकार से बालिका शिक्षा समस्त राष्ट्र की शिक्षा रूपी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है।

सर्वविदित तथ्य है कि किशोरावस्था संधर्ष, तूफान एवं परिवर्तन का काल है। इस आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का मनोविज्ञान अर्थात् व्यवहार का अध्ययन सदैव से ही शिक्षा जगत के लिए अनिवार्यतत्व रहा है। सामान्य तौर पर यह आयु एक समस्यात्मक काल होता है। इस काल में समस्याओं के साथ-साथ बालिकाओं का व्यक्तित्व भी

**वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता: राजस्थान में
महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में।**

डॉ. सरोज पारीक

विकसित होता है। अतः भौतिक आयोजन के निर्धारण में बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन तथा उसके परिणाम भावी शिक्षा के दिशा निदेशक होते हैं।

शिक्षा पर सामान्य रूप से उपलब्ध अधिकांश साहित्य और आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय समाज में बालिकाओं के लिए औपचारिक शिक्षा को कभी अधिक महत्व नहीं दिया गया। ऐसा मानना है जन सामान्य का। यद्यपि यह सभी नवीन सन्दर्भ समसामयिक है क्योंकि इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक महिला शिक्षा के स्पर्शरूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास के बावजूद शिक्षा समाज महिला शिक्षा की अनेदेखी करके आगे आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की

आधारशीला है, यह बालक – बालिकाओं को देश के प्रति कर्तव्य बोध कराती है। शिक्षा हमें अंधकार, रुढ़ियों, अंधविश्वासों तथा अज्ञान से मुक्ति दिलाती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियों को जाग्रत करना और प्रशस्त बनाना ही शिक्षा का मुल उद्देश्य है।

शिक्षा के द्वारा ही हम सुखी सन्तुष्ट और स्वतंत्र रहने की कला सीख सकते हैं। इससे हमें एक आत्मावलबी नागरिक बनने में सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षा का मौलिक उद्देश्य डिग्रियाँ प्राप्त करना नहीं वरन् उसका उद्देश्य है बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना, जो आत्म सम्मान से युक्त हो तथा दूसरों का सम्मान करने वाला हो।

स्कूल एकीकरण

- माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की निकटता में स्थित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्कूल स्तर पर बेहतर पर्यवेक्षण और संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए एकीकृत किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कुल 13380 स्कूलों में से 12272 स्कूल एकीकृत स्कूल हैं।
- एक ही राजस्व गांव में निकटवर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलय कर दिया गया है।
- प्रक्रिया में कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, केवल बेहतर प्रशासन के लिए एकीकृत है।

2015–2016 की बजट घोषणा के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्कूल (अधिमानतः फॉर्म I-XII/X) आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत में स्थित अन्य स्कूलों के लिए सलाहकार स्कूल और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे 989 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पहचाना गया है।

शर्ड गर्ल्स हॉस्टल

- कक्षा IX-XII में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए
- प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़ा ब्लॉक (ईबीबी) में एक गर्ल्स हॉस्टल
- कुल 186 प्रस्तावित छात्रावासों में से 132 को नामांकित 7348 लड़कियों के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- ये छात्रावास इन लड़कियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और आवास, संतुलित भोजन, मनोरंजन और सीखने के सहायक उपकरण प्रदान करते हैं।

कक्षा आठवीं (विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लड़कियों) में कक्षा 9 में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के सुचारू संक्रमण की सुविधा के इरादे से ये छात्रावास वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए गुणवत्ता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा सुलभ बनाएंगे और उन्हें 12 वीं तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाएंगे।

वर्तमान प्रांरभिक शिक्षा नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता: राजस्थान में
महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में।

डॉ. सरोज पाटीक

प्रभाव

मौजूदा सत्र में कक्षा IX-XII में लड़कियों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है। कक्षा आठवीं से 9 तक लड़कियों की संक्रमण दर में सुधार हैं। इस हस्तक्षेप के कारण लिंग समानता सूचकांक में भी सुधार की उमीद है।

स्त्री जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए भारत में स्त्रियों की शिक्षा शुरू से ही बहस का विषय रही है। 21वीं सदी में भारत में बालिका शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो ? उसका स्वरूप, चरित्र कैसा हो ? इन मुद्दों परस्पर काफी मत मतान्तर चले आ रहे हैं। शिक्षा द्वारा स्त्रियों की स्वतंत्रता की चेतना का विकास हो, जिस विद्यालय में वह पढ़ रही है वह विद्यालय उन्हे समानता का पर्यावरण दे। क्या हमारी बालिकाएं अपनी विद्यालय व्यवस्था से संतुष्ट हैं आदि मुद्दों के सन्दर्भ में कोई सार्थक प्रयास नहीं देखे गये।

अतः एक प्रश्न दिमाग में यह कौंधता है कि बालिकाओं के न्यून नामांकन हेतु कही उनका विद्यालय व उसकी व्यवस्था तो दोषी नहीं है ? क्या हमारे विद्यालय बालिकाओं को ठहराव की दृष्टि से उच्च सन्तुष्टि दे पा रहे हैं ? आदि सभी प्रश्नों के समाधान की दृष्टि से प्रस्तुत अनुसंधान एक फलदायी प्रक्रम बनेगा क्योंकि इस अनुसंधान के निकर्ष इस तथ्य को पुष्ट करेंगे कि बालिकाएं अपनी शिक्षा के सन्दर्भ में अपने विद्यालय से सन्तुष्ट हैं या नहीं।

अतः उसकी कुशलता, शिक्षा, व्यवहार, संस्कार, बुद्धिमता एवं उसका आत्मविश्वास तथा स्वयं के विकास के प्रति सन्तुष्ट के भाव उसके भावी जीवन आज की बालिका कल की विश्व उत्पादिका, पोशिका, शक्ति सम्पन्नता, ग्रहस्थ आश्रम के आधार होते हैं तथा साथ ही सुदृढ़ समाज की संरचना के नींव मूलक होते हैं। इस निमित हमने आज की बालिकाओं की जिज्ञासा, सामाजिक व्यवहार, आज्ञाकारिता प्रवृत्ति तथा विद्यालय सन्तुष्टि के स्तर का अध्ययन कर भावी महिलाओं के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को देख कर उनके स्वयं परिवार एवं राष्ट्र के विकास में योगदान के पहलुओं की ओर ज्ञांकने का प्रयास किया है।

निकर्ष

आज शिक्षा समाज के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा एक और जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर समाज तथा राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक एवं युवा शक्ति तैयार करती हैं। वही दूसरी ओर यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि शिक्षा एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो व्यक्ति को अंधकार से मुक्त कर उसका सर्वांगीण विकास करती है। इन सबके बावजूद भी देश में महिला शिक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है। परिवार एवं समाज का संपूर्ण विकास, बच्चों के चरित्र निर्माण, बढ़ती हुई जनसंख्या की रोक आदि के लिए महिलाओं की समुचित शिक्षा अत्याधिक आवश्यक है।

महिलाएं परिवार, समाज व समुदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और सीखना भी चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा ही उनके सीखने का आधार होती है। इसी जिज्ञासा के चलते उनकी खोज शुरू होती है। जिज्ञासा का सीखने में महत्वपूर्ण स्थान हैं इसलिए बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक का काम बच्चों के रास्ते को आसान बनाना है और बच्चों की जिज्ञासा को सीखने की प्रक्रिया में उचित दिशा देना है। नारी व बालिका को आज्ञाकारिता की प्रतिमूर्ति माना जाता है तथा समाज अपने इतिहास काल से सदैव महिलाओं के संबंध में अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा रखता आ रहा है।

नारी भी उक्त मानक पर खरी उत्तरती आ रही है। इसलिए गांधीजी स्त्रियों को अहिंसा का अवतार मानते थे। उन्होंने 'यंग इण्डिया' 25 नवम्बर 1926 में लिखा है कि अहिंसा का अर्थ है असीमित प्रेम, जिसका आगे अर्थ है कष्ट सहने की असीमित क्षमता, मनुष्य की मां एवं स्त्री को छोड़ कर कौन है जो इस क्षमता को अधिकतम प्रदर्शित कर सके। अतः उससे अपेक्षा ही उसकी आज्ञाकारिता व अवज्ञाकारिता का मानक समाज द्वारा तय किया गया है। अपने व्यापक दर्शन में त्याग की मूर्ति स्त्री क्या कभी अवज्ञाकारी हो सकती है। अपने व्यापक चिन्तन में तथा जनमानस की धारणा के आधार पर छात्राओं में आज्ञाकारिता का स्तर छात्रों से उच्च पाया गया है।

फिर भी जनमानस द्वारा उद्देलित इस निकर्ष को सत्य की कसौटी पर परखने हेतु आज्ञाकारिता एवं अवज्ञाकारिता प्रवृत्तियों का अध्ययन करना औचित्यपूर्ण है। प्राप्त निकर्षों से महिला शिक्षा में अनुशासन के स्वरूप की धारणा एवं

वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता: राजस्थान में
महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में।

डॉ. सरोज पाटीक

अनुशासन स्थापित करने की विधियों को न केवल बल मिलेगा बल्कि आवश्यकता आधारित विधियों भी उद्दित होंगी तथा विद्यालय योजनाओं की सफलता का अनुपात भी इसके परिणामों पर निर्भर करता है। विंगत वर्षों के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा परिणामों पर निगाह डाले तो छात्राओं के परीक्षा परिणाम उच्च जा रहे हैं। जो काग्र के प्रति उनके समर्पण, जागरूकता एवं आज्ञाकारिता व अवज्ञाकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अतः उक्त अध्ययन मील का पत्थर साबित हो सकता है। तथा उक्त दिशा का कार्य स्वतः ही सार्थक है। शिक्षा एक ऐसा ज्योजित्युँज है, जो जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर देती है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व को शिक्षा द्वारा तराशा जा सकता है।

*उप प्रधानाचार्य,
एस. एस. जी पारीक पीजी गर्ल्स कॉलेज,
जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. वैदिक कालीन भारत में स्त्री शिक्षा भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन. सी. ई. आर. टी , नई दिल्ली पुष्ट संख्या 21-3
2. भारत में भौतिक प्रणाली का विकास आर. लाल बुक डिपो, मेरठ. पृष्ठ स. 37
3. विश्व मानवाधिकार और महिलाएं, विद्या मेघ, मेरठ, अंक 116 पृष्ठ स. 1
4. शर्मा किशारे विद्यालय सन्तोश मापनी परीक्षण मैन्यूअल, नेशनल साइकोलोजिकल कार्पोरेशन आगरा पृष्ठ संख्या
5. महिलाओं की अन्तराष्ट्रीय आधिकारिक प्रतिस्थिति एवं मानवाधिकार विद्या मेघ मेरठ
6. शोध गंगा, इन्फलिनेट, एसी. इन

वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता: राजस्थान में
महिला शिक्षा के विशेष संदर्भ में।

डॉ. सरोज पारीक